



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102025-267047
CG-DL-E-21102025-267047

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 677]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 15, 2025/आश्विन 23, 1947

No. 677]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 15, 2025/ASVINA 23, 1947

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2025

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025

सं. पीएफआरडीए/05/1/0025/2017-मासं.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः -

- इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- ये अधिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- समय-समय पर यथा संशोधित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015 में (जिसे इसके बाद 'मूल विनियम' कहा गया है) निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं—
 - मूल विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :
"(1) ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे:

- (i) अधिनियम की धारा 11 के अधीन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सभी अधिकारी और कर्मचारी;
- (ii) अधिनियम की अधिसूचना से पूर्व अंतरिम प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सभी अधिकारी और कर्मचारी;
- (iii) कर्मचारियों की कोई अन्य श्रेणी जिन पर ये विनियम लागू होते हैं, जहां इस प्रकार विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु, ये विनियम अस्थायी रूप से या संविदाओं पर नियोजित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे सिवाय कि वे इन विनियमों में अन्यथा उपबंधित हों या ऐसी सीमा तक जो प्राधिकरण द्वारा सामान्यतः या विशिष्टतया विनिश्चित की जाए।

II. प्रमुख विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (1) में,

अ. खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड अर्थात्, प्रविष्ट किया जाएगा: -

"(चक) "प्रतिनियुक्ति" का अर्थ है किसी कर्मचारी की किसी अन्य संगठन में अस्थायी तैनाती, जिसमें वेतन, भत्ते और परिलब्धियों सहित पारिश्रमिक का प्रोद्भवन और संवितरण उधारकर्ता संगठन द्वारा वहन किया जाएगा।"

आ. खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खंड प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"(छक) "बाह्य समनुदेशन" से किसी कर्मचारी की किसी अन्य संगठन में अस्थायी तैनाती अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत सेक्रेटरी, टूर ऑफ ज्यूटी और स्टाफ एक्सचेंज प्रोग्राम भी शामिल है, जिसमें वेतन, भत्ते और परिलब्धियों सहित पारिश्रमिक का प्रोद्भवन और संवितरण प्राधिकरण द्वारा या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वहन किया जाएगा।"

इ. खंड (ज) के उपखंड (iii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(iii) रक्त या विवाह से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, कर्मचारी या उसके पति या पत्नी से और ऐसे कर्मचारी पर पूरी तरह से आश्रित।

तथापि, प्राधिकरण द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों अर्थात् स्वास्थ्य बीमा, अवकाश यात्रा रियायत और इसी प्रकार के अन्य लाभों का लाभ उठाने के प्रयोजन के लिए परिवार का अभिप्राय सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर परिपत्रों अथवा आदेशों के माध्यम से निर्धारित किया जाना है।"

III. प्रमुख विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, पुल्लिंग को संबोधित करने वाले शब्दों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा तथा जहां संदर्भ हो, वहां एकवचन में बहुवचन भी शामिल होगा।"

IV. प्रमुख नियमों के विनियमन 5 में,

अ. उप-विनियमन (1) में, "लागू करने की शक्ति" शब्दों से पहले, शब्द और प्रतीक "इन नियमों के प्रावधानों के अधीन," प्रविष्ट किया जाएगा।

आ. उप-विनियमन (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमन प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"(3) प्राधिकरण अपने विवेक से इन विनियमों के उपबंधों का अधित्याग या कठोर अनुप्रयोग शिथिल कर सकेगा।"

V. प्रमुख विनियमों के विनियम 6 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का वर्गीकरण और नियुक्ति.- (1) प्राधिकरण में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

(क) अधिकारी (ग्रेड ए, बी, सी, डी, ई, एफ और कार्यकारी निदेशक);

- (ख) प्रतिनियुक्ति पर सचिवीय स्टाफ (ग्रेड ए, बी और सी);
- (ग) कनिष्ठ सहायक; और
- (घ) चालका।”

VI. मूल विनियमों के विनियम 6 के उप-विनियम (4) के खंड (घ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(घ) सक्षम प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगा, जिसमें उतने व्यक्ति और बाहरी विशेषज्ञ शामिल होंगे जो वह भर्ती और पदोन्नति के लिए निर्धारित कर सकता है।

बशर्ते कि, प्रतिनियुक्ति या अनुबंध पर कार्यकारी निदेशक के स्तर पर भर्ती के लिए, सक्षम प्राधिकारी एक खोज-सह-चयन समिति का गठन करेगा, जिसमें उतने व्यक्ति और बाहरी विशेषज्ञ शामिल होंगे जितने निर्धारित किए जा सकते हैं।

परंतु यह और कि कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किए जाने से पूर्व कर दिया जाएगा।”

VII. प्रमुख विनियमों के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में, ऐसे कर्मचारियों शब्दों को सचिवीय कर्मचारी (ग्रेड ए, बी और सी) या अधिकारी” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

VIII. प्रमुख नियमों के विनियमन 10 में,

अ. उप-विनियमन (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(1) वेतन के निर्दिष्ट वेतनमानों में से किसी में सीधे नियुक्त कर्मचारी दो साल की अवधि के लिए परीक्षा पर होगा।”

आ. उप-विनियमन (1) के बाद निम्नलिखित उप-विनियमन प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

“(1 ए) एक ग्रेड / स्केल से दूसरे में पदोन्नत एक कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर होगा।”

IX. प्रमुख नियमों के विनियमन 13 में,

अ. उप-विनियमन (1) में पहले परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

“परंतु यह और कि प्राधिकरण वार्षिक समीक्षा के अलावा कर्मचारियों के निष्पादन की आवधिक समीक्षा कर सकेगा और प्रथम परंतुक के अधीन किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर सकेगा, यदि उसकी यह राय है कि कर्मचारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है या यदि कर्मचारी अक्षम पाया गया है।”

आ. अंतिम उप-विनियमन को (7) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

X. प्रमुख विनियमों के विनियम 16 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“16. पदोन्नति.- सभी पदोन्नतियां और उन्नयन प्राधिकरण के विवेक पर किए जाएंगे और समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नीतियों द्वारा शासित होंगे।”

XI. मूल विनियमों के विनियम 36 के उप-विनियमन (5) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमन प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"(6) कार्य की अत्यावश्यकताओं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के अधीन, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में यथा परिभाषित भिन्न रूप से सक्षम कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में, विकलांगता और विकास संबंधी कार्यक्रमों से संबंधित सम्मेलनों, सेमिनारों, प्रशिक्षणों या कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए अधिकतम दस दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश और विकलांगता से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए अधिकतम चार दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है:

बशर्ते कि इस उप-विनियमन के तहत विशेष आकस्मिक छुट्टी की मंजूरी ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होगी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर तय की जा सकती हैं।"

XII. प्रमुख नियमों के विनियमन 36 के बाद, निम्नलिखित विनियमन प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"36क. विशेष कठिनाई अवकाश.-

(1) पात्रता. - (क) प्राधिकरण की सेवाओं में स्थायी कर्मचारी और प्राधिकरण में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर चुका है, विशेष कठिनाई अवकाश के लिए आवेदन करने का पात्र है:

बशर्ते कि पांच साल की सेवा पूरी करने से पहले विशेष कठिनाई छुट्टी उप-विनियमन (2) में प्रदान किए गए उद्देश्यों के लिए असाधारण परिस्थितियों में मंजूर की जा सकती है, ऐसे कर्मचारी द्वारा एक आवेदन पर और उप-विनियमन (4) के अनुसार अनुमोदन प्राधिकारी की सिफारिश पर;

(ख) कोई महिला कर्मचारी प्राधिकरण में पांच वर्ष की सेवा पूरी होने पर भी मातृत्व अवकाश के विस्तार के रूप में विशेष कठिनाई अवकाश प्राप्त कर सकती है;

(ग) विशेष कठिनाई छुट्टी का अनुमोदन प्राधिकरण का एकमात्र विवेकाधिकार होगा, जो प्राधिकरण की प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं, जिस कारण के लिए छुट्टी मांगी गई है और व्यक्तिगत मामलों के गुण-दोष सहित आधारों पर निर्भर करेगा;

(घ) कर्मचारी उप-विनियमन (4) के अनुसार अनुमोदन प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना विशेष कठिनाई छुट्टी पर नहीं जाएगा;

(ङ) कर्मचारियों को विशेष कठिनाई अवकाश उपलब्ध नहीं होगा, -

(i) विशेष व्यवस्था या बांड के तहत विदेश में सेवारत;

(ii) जिन्होंने सेवा बांड निष्पादित किए हैं और इसे पूरा नहीं किया है;

(iii) जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रस्तावित हैं अथवा लंबित हैं अथवा जो निलम्बित हैं, जिनमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जिनके विरुद्ध सरकारी एजेंसियों अथवा अन्य विधि प्रवर्तन प्राधिकरणों द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है;

(iv) संविदा आधार पर नियुक्त;

(v) किसी अन्य श्रेणी के अंतर्गत आने वाले, जो समय-समयप्राधिकरण द्वारा सूचित किया जाए।

(2) विशेष कठिनाई छुट्टी का उद्देश्य- विशेष कठिनाई अवकाश परिवार या बच्चों की देखभाल या स्वयं या आश्रित परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य आधार के उद्देश्य से होगा

(3) विशेष कठिनाई छुट्टी की अवधि- संपूर्ण सेवा के दौरान दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विशेष कठिनाई छुट्टी ली जा सकती है और वर्ष में एक बार कम से कम तीन माह की अवधि के लिए ली जा सकती है।

(4) विशेष कठिनाई अवकाश के लिए अनुमोदन प्राधिकारी- ग्रेड 'घ' और उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए विशेष कठिनाई छुट्टी के लिए अनुमोदन प्राधिकारी, संबंधित विभाग का पूर्णकालिक सदस्य होगा जहां ऐसा कर्मचारी सेवारत है, और अन्य मामलों में, अनुमोदन प्राधिकारी संबंधित विभाग का कार्यकारी निदेशक होगा जहां ऐसा कर्मचारी सेवारत है।

(5) अन्य शर्तें- विशेष कठिनाई अवकाश से संबंधित अन्य शर्तें निम्नानुसार होंगी, -

(ए) इस तरह की छुट्टी भारत में प्राप्त चिकित्सा उपचार के लिए घर भत्ता और दावों को छोड़कर वेतन, अनुलाभ और भत्ते के बिना होगी:

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, चिकित्सा उपचार के लिए दावा, चिकित्सा बीमा, चिकित्सा सहायता निधि से दावा, गैर-पॉलिसी चिकित्सा दावे, आंख अपवर्तन और वार्षिक स्वास्थ्य जांच शामिल होंगे;

(ख) विशेष कठिनाई अवकाश पर आए किसी कर्मचारी को यथास्थिति, प्राधिकरण द्वारा उपबंधित आवास को बनाए रखने या गृह भत्ता प्राप्त करने की अनुज्ञा दी जाएगी;

(ग) विशेष कठिनाई छुट्टी के लिए आवेदन कर्मचारी द्वारा ग्रेड 'डी' और उससे ऊपर के कर्मचारी द्वारा छुट्टी प्राप्त करने की तारीख से कम से कम दो महीने पहले प्रस्तुत किया जाएगा, और अन्य सभी मामलों में छुट्टी प्राप्त करने की तारीख से कम से कम एक महीने पहले:

वशर्ते कि अनुमोदन प्राधिकारी को उपयुक्त मामलों में इस खंड में निर्दिष्ट अवधि में छूट देने का विवेक होगा;

(घ) विशेष कठिनाई अवकाश का लाभ उठाने की पात्रता की गणना के लिए, सेवाओं के पूरे किए गए वर्षों की गणना की जाएगी;

(ङ) एक बार अनुमोदित विशेष कठिनाई अवकाश अप्रतिसंहरणीय होगा;

(च) अनुमोदित विशेष कठिनाई छुट्टी की समाप्ति से पहले, कर्मचारी अनुमोदन प्राधिकारी से अनुमति के बिना छुट्टी फिर से शुरू नहीं करेगा;

(छ) किसी अन्य श्रेणी की छुट्टियों के शेष पर ध्यान दिए बिना विशेष कठिनाई छुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है और इसे आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, कार्यभार ग्रहण करने के समय के स्थान पर विशेष आकस्मिक अवकाश और विशेष छुट्टी को छोड़कर छुट्टी की किसी भी श्रेणी के साथ जोड़ा जा सकता है;

(ज) स्थानांतरण या तैनाती या नियोजन आदि से बचने के लिए विशेष कठिनाई अवकाश मंजूर नहीं किया जाएगा;

(i) कोई कर्मचारी, जो विशेष कठिनाई अवकाश के दौरान त्यागपत्र या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति द्वारा प्राधिकरण की सेवाएं छोड़ देता है, प्राधिकरण को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो इन विनियमों के संदर्भ में यथापेक्षित नोटिस की अवधि के लिए मूल वेतन के बराबर राशि होगी;

(ज) कोई कर्मचारी, जो विशेष कठिनाई अवकाश के दौरान या ऐसी छुट्टी लेने के पश्चात् पद ग्रहण करने के पश्चात् पाँच वर्ष के भीतर त्यागपत्र या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के द्वारा प्राधिकरण की सेवाएं छोड़ता है, प्राधिकरण को सम्पूर्ण गृह भत्ते के बराबर रकम और ऐसी छुट्टी के दौरान संदत्त चिकित्सा दावों का संदाय करने के लिए दायी होगा:

परन्तु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात्, अपेक्षित दस्तावेजी साक्ष्य, प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा और प्रमाणन के आधार पर, उस कर्मचारी से उक्त राशि का संदाय, जिसने स्वयं के स्वास्थ्य के आधार पर विशेष कठिनाई अवकाश प्राप्त किया है और वह कारण जिसके लिए वह कार्यालय फिर से शुरू करने में असमर्थ है, माफ किया जा सकता है;

(ट) प्राधिकरण विशेष कठिनाई छुट्टी को रद्द कर सकता है और कर्मचारी को वापस बुला सकता है और मामले में जैसा उचित समझा जाए, कार्यवाही कर सकता है, यदि यह पाया जाता है कि ऐसा कर्मचारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यापार या रोजगार या व्यवसाय या पेशे का उपक्रम कर रहा है या उसमें लगा हुआ है;

- (ठ) विशेष कठिनाई छुट्टी को वरिष्ठता के प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में गिना जाएगा;
- (ड) विशेष कठिनाई छुट्टी की अवधि के लिए, ऐसे कर्मचारी को कोई अन्य छुट्टी जमा नहीं की जाएगी;
- (ढ) कोई कर्मचारी विशेष कठिनाई अवकाश की अवधि के दौरान किसी जांच, न्यायालय मामले, विभागीय जांच या ऐसी किसी अन्य कार्यवाही में साक्षी के रूप में स्वयं को उपलब्ध कराएगा और यथास्थिति, यात्रा और ठहराव भत्ता संदत्त किया जाएगा;
- (ण) प्राधिकरण किसी भी समय विशेष कठिनाई अवकाश को रद्द कर सकता है और आकस्मिकता के मामले में कर्मचारियों को वापस बुला सकता है;
- (त) प्राधिकरण, विशेष कठिनाई अवकाश अवधि के दौरान, किसी भी प्रकार का कोई नया ऋण या अग्रिम अनुमोदित नहीं करेगा;
- (थ) विशेष कठिनाई अवकाश पर आया कर्मचारी यथापेक्षित अचल या चल या मूल्यवान संपत्ति की विवरणी प्रस्तुत करेगा;
- (द) विशेष कठिनाई अवकाश प्राप्त करने वाला कोई कर्मचारी पत्राचार के लिए प्राधिकरण को अपने स्थानीय पते की सूचना देगा और समय-समय पर पत्राचार के लिए पते में किसी परिवर्तन की सूचना भी देगा।

XIII. प्रमुख विनियमों के विनियम 37 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

- “(1) (i) प्रत्येक कर्मचारी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिनों की दर से साधारण अवकाश का हकदार होगा, जो अधिकतम 300 दिनों के संचय के अधीन होगा।
- (ii) इस प्रकार अर्जित छुट्टी ऐसे कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए 15 दिनों की दर से प्रत्येक वर्ष में क्रमशः 1 जनवरी और 1 जुलाई को अर्धवार्षिक कर्मचारी के साधारण अवकाश खाते में जमा की जाएगी।
- (iii) जहां किसी कर्मचारी को 286 दिनों या उससे अधिक की साधारण छुट्टियों का श्रेय देना है, वहां 15 दिनों की साधारण छुट्टी का और क्रेडिट प्रत्येक छमाही की शुरुआत में (1 जनवरी या 1 जुलाई को) कर्मचारी के अतिरिक्त साधारण छुट्टी खाते में किया जाएगा और 30 जून या 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली छह महीने की अवधि के दौरान प्राप्त साधारण छुट्टियों को ऐसे खाते से काट लिया जाएगा:
- बशर्ते कि यदि स्वीकृत साधारण अवकाश 15 दिनों से कम के लिए है, तो शेष राशि उस छमाही के अंत में 300 दिनों की सीमा के अधीन साधारण छुट्टी खाते में जमा की जाएगी:
- बशर्ते कि किसी कर्मचारी की साधारण छुट्टियां 30 जून या 31 दिसंबर से पहले स्वीकृत और प्राप्त होंगी क्योंकि 300 दिनों से अधिक की छुट्टियां 30 जून या 31 दिसंबर, जैसा भी मामला हो, को समाप्त हो जाएंगी।
- (iv) कोई भी कर्मचारी जब आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी अन्य छुट्टी पर है तो उसे लगातार 6 माह से अधिक की अवधि के लिए साधारण छुट्टी नहीं मिलेगी। यदि कोई कर्मचारी किसी भी छमाही में 6 महीने से कम की सेवा प्रदान करता है, तो उसे हर 11 दिनों की सेवा के लिए एक दिन के लिए क्रेडिट किया जाएगा।
- (v) साधारण अवकाश के एक दिन के अंशों को पूरे दिन के रूप में लिया जाएगा यदि आधे दिन या उससे अधिक की राशि हो, और आधे दिन से कम होने पर इसे अनदेखा किया जाएगा।”

XIV. प्रमुख नियमों के विनियमन 38 में,

- अ. उप-विनियमन (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(1) एक कर्मचारी को न्यूनतम 10 दिनों की अवधि और अधिकतम 30 दिनों की अवधि के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार साधारण छुट्टी को भुनाने की अनुमति दी जा सकती है।
बशर्ते कि कर्मचारी का नकदीकरण के बाद 180 दिनों की साधारण छुट्टी या उससे अधिक का बैलेंस हो।

आ. उप-विनियमन (3) में, "प्राधिकरण जो" शब्दों के बाद, शब्द और प्रतीक "इन विनियमों के विनियमन 10 के उप विनियमन (1) के तहत परीक्षा के पूरा होने पर," प्रविष्ट किया जाएगा।

XV. प्रमुख विनियमों के विनियम 40 के उप-विनियमन (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्:

-

"(5) दो से कम जीवित बच्चों वाली कमीशनिंग माता, जो लागू कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से एक बच्चे को कमीशन देती है, को मातृत्व अवकाश के 360 दिनों की समग्र स्वीकार्यता के भीतर 180 दिनों से अनधिक अवधि के लिए मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है।

स्पष्टीकरण 1: मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 (1961 का 53) की धारा 3 (बीए) में एक "कमीशनिंग मां" को "एक जैविक मां के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी अन्य महिला में प्रत्यारोपित भ्रूण बनाने के लिए अपने अंडे का उपयोग करती है"।

स्पष्टीकरण 2: इस उप-विनियमन के प्रयोजन के लिए, मातृत्व अवकाश की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जब बच्चे की कस्टडी कमीशनिंग मां को दी जाती है।

(6) लागू कानून के अनुसार एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को गोद लेने पर दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी को बच्चे की अभिरक्षा दिए जाने की तारीख से 360 दिनों की समग्र स्वीकार्यता के भीतर 180 दिनों की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश मंजूर किया जा सकता है।

बशर्ते कि कर्मचारी प्राधिकरण को दत्तक ग्रहण विलेख या कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है जैसा कि प्राधिकरण द्वारा मांगा जा सकता है।

XVI. मूल विनियमों के विनियम 41 के उप-विनियमन (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमन सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(2ए) पंद्रह दिनों की अवधि के लिए पितृत्व अवकाश भी एक पुरुष कर्मचारी को दिया जा सकता है, जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, ऐसे मामले में जहां सरोगेसी का परिणाम है, बच्चे की कस्टडी उसे दिए जाने के छह महीने के भीतर।

XVII. प्रमुख नियमों के विनियमन 54 में,

अ. उप-विनियमन (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"54. प्रिंट, सोशल और डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सार्वजनिक क्षेत्र में किसी अन्य मीडिया में योगदान- (1) कोई भी कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना या ऐसी मंजूरी के बिना प्रिंट, सोशल और डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध किसी अन्य मीडिया में योगदान नहीं देगा या ऐसी मंजूरी के बिना किसी भी दस्तावेज, कागज या सूचना को सार्वजनिक या प्रकाशित नहीं करेगा जो उसके पास आधिकारिक क्षमता में आ सकता है।

आ. उप-विनियमन (2) परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

“बशर्ते कि जहां भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी प्रिंट, सोशल और डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध किसी अन्य मीडिया में कर्मचारी के योगदान के लिए ऐसी मंजूरी दी जाती है, तो वह इस आशय का एक अस्वीकरण प्रदान करेगा कि उस में व्यक्त विचार उस के अपने हैं और प्राधिकरण द्वारा समर्थित नहीं हैं।

XVIII. प्रमुख नियमों के विनियमन 56,

- अ. उप-विनियमन (1) में "दो" शब्द को "एक" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- आ. उप-विनियमन (3) में, "दो" शब्द को "एक" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- इ. उप-विनियमन (3) के बाद, निम्नलिखित परंतुक प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -
बशर्ते कि कर्मचारी को एक वर्ष की अवधि के भीतर प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किसी अन्य मध्यस्थ के साथ रोजगार मांगने या प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किसी अन्य मध्यस्थ के साथ किसी अन्य तरीके से जुड़ने की स्थिति में प्राधिकरण से नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
- ई. उप-विनियमन (3) के परंतुक में, "हालांकि" शब्दों को "आगे" से बदल दिया जाएगा।
- उ. उप-विनियमन (3) के परंतुक के बाद और उप-विनियमन (4) से पहले पैराग्राफ निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाएंगे:
"(4) सक्षम प्राधिकारी इस तरह के अनुमोदन को मंजूरी देने की उपयुक्तता के बारे में खुद को संतुष्ट करेगा, इस बात के संबंध में कि कर्मचारी ने प्राधिकरण की सेवाओं में रहते हुए उक्त मध्यस्थ के साथ क्या किया होगा; और ऐसी शर्तें लगा सकता है जो मामले की परिस्थितियों के संबंध में आवश्यक हो सकती हैं, जिसमें कर्मचारी को प्राधिकरण के समक्ष किसी भी तरीके से मध्यस्थ का प्रतिनिधित्व करने से प्रतिबंधित करना शामिल है।
- ऊ. उप-विनियमन (4) को (5) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा।

XIX. प्रमुख विनियमों के विनियम 67 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"67. चल, अचल और मूल्यवान संपत्ति- (1) प्रत्येक कर्मचारी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट अपनी आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करेगा।
बशर्ते कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) के तहत इस तरह की घोषणा का तरीका निर्दिष्ट होने तक, कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके से अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करेंगे।

XX. प्रमुख विनियमों के विनियम 80 के उप-विनियम (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(3) उप-विनियमन (1) के उल्लंघन की किसी भी शिकायत का निपटान प्राधिकरण द्वारा गठित शिकायत समिति द्वारा किया जाएगा जो
(i) किसी अधिकारी की अध्यक्षता में;
(ii) कम से कम एक बाहरी व्यक्ति शामिल है जो यौन उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित है; और
(iii) इसकी रचना इस प्रकार की जाए कि इसके सदस्यों में से कम से कम आधी महिलाएं हों

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अभिभावी होंगे।

XXI. प्रमुख नियमों के विनियमन 81 में,

अ. उप-विनियमन (2) के बाद और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परंतुक प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"बशर्ते कि इस विनियमन में निहित कुछ भी सक्षम प्राधिकारी की शक्ति को कानून के तहत प्राधिकरण को उपलब्ध सभी साधनों द्वारा प्राधिकरण को आर्थिक हानि की राशि के कर्मचारी से वसूली का निर्देश देने तक सीमित नहीं करेगा, जिसमें अनुमेय सीमा तक, प्राधिकरण से देय और कर्मचारी को देय ऐसी राशि से, वेतन से ऐसी हानि की वसूली के अलावा, चाहे इस प्रकार वसूल की गई कुल राशि परिमाणित आर्थिक हानि की राशि से अधिक न हो।

आ. उप-विनियमन (2) के स्पष्टीकरण के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"स्पष्टीकरण 2: इस विनियमन के प्रयोजन के लिए, यदि कर्मचारी सेवा में रहते हुए शुरू की गई कार्यवाही चाहे सेवानिवृत्ति से पहले / मूल कैडर में प्रत्यावर्तन / अनुबंध अवधि पूरी करने से पहले या पुनः रोजगार के दौरान, अंतिम सेवानिवृत्ति/मूल कैडर में प्रत्यावर्तन / कर्मचारी की अनुबंध अवधि पूरी होने के बाद, इस विनियमन के तहत एक कार्यवाही माना जाएगा और प्राधिकरण द्वारा उसी तरीके से जारी और निष्कर्ष निकाला जाएगा जिसके पहले यह शुरू हुआ था जैसे कि कर्मचारी सेवा में जारी रहा।

इ. उप-विनियमन (2) के तहत "स्पष्टीकरण" शब्द को "स्पष्टीकरण 1" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

XXII. प्रमुख विनियमों के विनियमन 89 के बाद, निम्नलिखित विनियम सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"89क. उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई जिन्होंने प्राधिकरण की सेवाएं छोड़ दी हैं- (1) जहां कोई कर्मचारी, जिसने प्राधिकरण की सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया है या सेवानिवृत्त हो चुका है या प्राधिकरण के साथ प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि पूरी कर ली है, सेवा की अवधि के दौरान भ्रष्ट आचरण में लिप्त होने का आरोप लगाया जाता है, तो उक्त आरोप का निपटारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियमन के प्रयोजन के लिए, एक आरोप भ्रष्ट आचरण को इंगित करने के लिए समझा जाएगा यदि कर्मचारी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 13 में प्रदान किए गए आपराधिक कदाचार का कार्य करने का आरोप लगाया गया है या कथित रूप से अनुचित उद्देश्य के लिए या भ्रष्ट तरीके से कार्य किया है या अनुचित तरीके से शक्तियों का प्रयोग करने या भ्रष्ट मकसद से प्रयोग करने से परहेज करने का आरोप लगाया गया है।

XXIII. प्रमुख नियमों के विनियमन 93 में, "शामिल होने की अनुमति" शब्दों को "प्रतिनियुक्त" शब्दों से बदल दिया जाएगा।

XXIV. प्रमुख विनियमों के विनियमन 94 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"94. प्रतिनियुक्ति और बाह्य समनुदेशन- (1) प्राधिकरण के किसी कर्मचारी को किसी अन्य नियोक्ता के अधीन सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्ति पर या बाह्य समनुदेशन पर भेजा जा सकेगा:

बशर्ते कि इस तरह की प्रतिनियुक्ति या बाहरी समनुदेशन प्राधिकरण के अनुमोदन के अनुसरण में होगा और ऐसे नियमों और शर्तों के अनुसार होगा जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

बशर्ते कि किसी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रतिनियुक्ति पर या बाहरी समनुदेशन पर नहीं भेजा जाएगा।

XXV. प्रमुख नियमों के विनियमन 95 में

अ. उप-विनियमन (3) में, "एक कर्मचारी" शब्दों से पहले "के मामले में" शब्द जोड़े जाएंगे।

आ. उप-विनियमन (4) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियमन प्रविष्ट किया जाएगा, अर्थात्: -

"(5) इस विनियमन में किसी बात के होते हुए भी, किसी कर्मचारी को देय ग्रेच्युटी को या तो पूर्ण या आंशिक रूप से रोक दिया जा सकता है, विनियम 81 से 84 के तहत किसी कर्मचारी के खिलाफ शुरू की गई किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान और रोके गए ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा कार्यवाही के समापन पर कर्मचारी, कार्यवाही के निर्णय या कर्मचारी से प्रभावी होने वाली किसी भी वसूली के अधीन।"

XXVI. प्रिंसिपल नियमों के विनियमन 97 में, "फॉर्म ए से सी" शब्दों के बाद "इन नियमों के परिशिष्ट में प्रदान किए गए अनुसार" शब्द जोड़े जाएंगे।

XXVII. प्रमुख नियमों की अनुसूची में,

अ. कॉलम 4 हटा दिया जाएगा।

आ. पंक्ति 1 कॉलम 3 में, "आयु, योग्यता और सीधी भर्ती के लिए अनुभव" शब्दों के बाद, शब्द और प्रतीक "/" अनुबंध भर्ती, जहां भी लागू हो" जोड़ा जाएगा।

इ. पंक्ति 1 कॉलम 6 में, "चयन समिति की संरचना" शब्दों के बाद शब्द और प्रतीक "/" खोज सह चयन समिति" जोड़ा जाएगा।

ई. पंक्ति 2 में, कॉलम 2 में प्रावधान निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा है:

"(ए) पदोन्नति;

सरकार, विनियामक निकायों, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों से प्रतिनियुक्ति;

(ग) संविदा आधार पर।

आंतरिक उम्मीदवारों से कुल पदों का 2/3 और प्रतिनियुक्ति / अनुबंध द्वारा भरे जाने वाले 3 से अधिक नहीं, 1/3 पद।

किसी भी श्रेणी यानी आंतरिक या प्रतिनियुक्ति/अनुबंध श्रेणी में अनुपलब्धता के मामले में, एक श्रेणी की उपलब्ध रिक्ति को अन्य श्रेणियों के उपयुक्त उम्मीदवार से भरा जा सकता है।

उ. पंक्ति 2 कॉलम 3 में, "सीडब्ल्यूए" शब्द को "सीएमए" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

ऊ. पंक्ति 2 में, कॉलम 5 में प्रावधान निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"सरकार, नियामक निकायों, आरबीआई, बैंकों, वित्तीय संस्थानों से प्रतिनियुक्ति,

पेंशन/वित्तीय क्षेत्र से संबंधित समस्याओं से निपटने में 20 वर्षों से कम का अनुभव या विशेषज्ञान/अनुभव के साथ

कानून, जांच, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखा, प्रशासन या प्राधिकरण के लिए उपयोगी समझे जाने वाले किसी अन्य अनुशासन की।

ऋ. पंक्ति 2 में, कॉलम 6 में प्रावधान निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"पदोन्नति के लिए: प्राधिकरण के अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य और अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले दो बाहरी विशेषज्ञ चयन समिति का गठन करेंगे।

प्रतिनियुक्ति/संविदा के लिए- अध्यक्ष, प्राधिकरण के दो अन्य सदस्य और अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले दो बाहरी विशेषज्ञ खोज-सह-चयन समिति का गठन करेंगे।

सरकार या अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति के मामले में, प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले वाले संगठन के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।

लृ. पंक्ति 3 में, कॉलम 3 में प्रावधान निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

ग्रेड डी, ई और एफ के लिए क्रमशः 45, 48 और 52 वर्ष की अधिकतम आयु।

सामान्य श्रेणी के अधिकारियों के लिए –

किसी भी विषय में मास्टर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा * (न्यूनतम दो वर्ष की अवधि) / कानून में स्नातक की डिग्री / किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या चार्टर्ड एकाउंटेंट / चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक / कंपनी सचिव / लागत लेखाकार।

* (एसोसिएशन ऑफ इंडियन द्वारा मान्यता प्राप्त उस अनुशासन में मास्टर डिग्री के बराबर।

लीगल स्ट्रीम में अधिकारियों के लिए –

संस्थान से कानून में स्नातक की डिग्री।

रिसर्च स्ट्रीम में अधिकारियों के लिए –

अर्थशास्त्र / वाणिज्य / व्यवसाय प्रशासन / अर्थमिति / मात्रात्मक अर्थशास्त्र / वित्तीय अर्थशास्त्र / गणितीय अर्थशास्त्र / व्यवसाय अर्थशास्त्र / कृषि अर्थशास्त्र / औद्योगिक अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा * (न्यूनतम दो वर्ष की अवधि)

व्यापार विश्लेषिकी; या मास्टर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा*(न्यूनतम दो वर्ष की अवधि) वित्त / मात्रात्मक वित्त / मात्रात्मक तकनीक/अंतर्राष्ट्रीय वित्त/व्यापार वित्त/परियोजना और बुनियादी ढांचा वित्त/कृषि में व्यावसायिक वित्त; या सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी /सांख्यिकी और सूचना विज्ञान/ एप्लाइड सांख्यिकी और सूचना विज्ञान/ डेटा विज्ञान/आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग/बिग डेटा एनालिटिक्स में मास्टर डिग्री/पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा* (न्यूनतम दो वर्ष की अवधि); संस्थान से गणित में मास्टर डिग्री और सांख्यिकी या संबंधित विषयों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

*(एसोसिएशन ऑफ इंडियन द्वारा उस अनुशासन में मास्टर डिग्री के बराबर मान्यता प्राप्त।

सूचना प्रौद्योगिकी स्ट्रीम में अधिकारियों के लिए –

किसी भी शाखा में इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या एक पद के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर अनुप्रयोग / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक योग्यता (न्यूनतम दो वर्ष की अवधि)।

इंजीनियरिंग स्ट्रीम में अधिकारियों के लिए –

सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से

राजभाषा (राजभाषा) स्ट्रीम के अधिकारियों के लिए –

स्नातक डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी/हिंदी अनुवाद में मास्टर डिग्री; या स्नातक डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी के साथ संस्कृत/अंग्रेजी/अर्थशास्त्र/वाणिज्य में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से अंग्रेजी और हिंदी / हिंदी अनुवाद दोनों में मास्टर डिग्री।

वित्त और लेखा स्ट्रीम के अधिकारियों के लिए -

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक और सीए / सीएमए / सीएस / सीएफए।

बीमांकिक स्ट्रीम में अधिकारियों के लिए –

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक और भारतीय बीमांकिक संस्थान (आईएआई) के फेलो।

एँ. पंक्ति 4 में, कॉलम 3 में प्रावधान, शब्दों और प्रतीकों को छोड़कर "इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री (इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार / सूचनाप्रौद्योगिकी / कंप्यूटरविज्ञान) / कंप्यूटर एप्लीकेशन में परास्नातक / कंप्यूटर / सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर योग्यता (न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि) के साथ अनुशासन में कोई स्नातक डिग्री या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीनलर्निंग (एमएल) में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री (एमएल) / एआई और एम एल में विशेषज्ञता के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन / एआईमेंविशेषज्ञताकेसाथ विज्ञान में स्नातक की डिग्री और कंप्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर योग्यता (न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि) के साथ किसी भी विषय में एमएल / स्नातक की डिग्री एआई में विशेषज्ञता के साथ और तकनीकी स्ट्रीम (सूचना प्रणाली) में अधिकारियों के लिए एमएल "को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है, अर्थात्, -

ग्रेड ए, बी और सी के लिए क्रमशः 30, 30 और 35 वर्ष की अधिकतम आयु।

सामान्य श्रेणी के अधिकारियों के लिए –

किसी भी विषय में मास्टर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा * (न्यूनतम दो वर्ष की अवधि) / कानून में स्नातक की डिग्री / किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या सीए / सीएमए / सीएस / सीएफए।

* (एसोसिएशन ऑफ इंडियन द्वारा मान्यता प्राप्त उस अनुशासन में मास्टर डिग्री के बराबर विश्वविद्यालय)।

लीगल स्ट्रीम में अधिकारियों के लिए – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से कानून में स्नातक की डिग्री।

लीगल स्ट्रीम के लिए निर्दिष्ट योग्यता के अलावा, एडवोकेट एक्ट, 1961 के तहत नामांकित होने के बाद एक वकील

के रूप में दो साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन अनुभव (एडवोकेट या सॉलिसिटर ऑफिस या लॉ फर्म में एसोसिएट के रूप में)

(1961 का 25) एक वांछनीय योग्यता होगी।

रिसर्च स्ट्रीम में अधिकारियों के लिए –

अर्थशास्त्र / वाणिज्य / व्यवसाय प्रशासन / अर्थमिति / मात्रात्मक अर्थशास्त्र / वित्तीय अर्थशास्त्र / गणितीय अर्थशास्त्र / व्यवसाय अर्थशास्त्र / कृषि अर्थशास्त्र / औद्योगिक अर्थशास्त्र / बिजनेस एनालिटिक्स में मास्टर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा * (न्यूनतम दो वर्ष की अवधि); या मास्टर डिग्री / स्नातकोत्तर डिप्लोमा * (न्यूनतम दो वर्ष की अवधि) वित्त / मात्रात्मक वित्त / मात्रात्मक तकनीक / अंतर्राष्ट्रीय वित्त / व्यापार वित्त / परियोजना और बुनियादी ढांचा वित्त / कृषि में व्यावसायिक वित्त; नहीं तो

सांख्यिकी / गणितीय सांख्यिकी / सांख्यिकी और सूचना विज्ञान / एप्लाइड सांख्यिकी और सूचना विज्ञान / डेटा विज्ञान / आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / मशीन लर्निंग / बिग डेटा एनालिटिक्स में मास्टर डिग्री / पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा * (न्यूनतम दो वर्ष की अवधि); या गणित में मास्टर डिग्री और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सांख्यिकी या संबंधित विषयों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

*(एसोसिएशन ऑफ इंडियन द्वारा उस अनुशासन में मास्टर डिग्री के बराबर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय)।

इंजीनियरिंग स्ट्रीम में अधिकारियों के लिए –

सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से

सिविल इंजीनियरों के लिए वांछनीय अनुभव – (i) कार्यालय और आवासीय के रखरखाव में अनुभव संपत्ति/कॉलोनियां। (ii) निर्माण परियोजनाओं के सभी पहलुओं के प्रशासन का अनुभव और पीईआरटी/सीपीएम तकनीकों का ज्ञान। (iii) सीएएम/सीएडी/एमएस परियोजना अथवा प्रिमावेरा में संरचनात्मक डिजाइन में कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान विशेष संदर्भों के साथ निविदाओं का मूल्यांकन और विक्षेपण। (iv) संरचनात्मक पुनर्वास कार्यों में कार्यसाधक ज्ञान। (v) निर्माण और परियोजना प्रबंधन में अनुभव।

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरों के लिए वांछनीय अनुभव – (i) सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, पता योग्य सुरक्षा अलार्म और फायर अलार्म सिस्टम, ईपीएबीएक्स, यूपीएस सिस्टम, आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का कार्यसाधक ज्ञान। (ii) लिफ्टों, पंपों, एयर कंडीशनिंग प्लांटों आदि के रखरखाव में अनुभव। (iii) अपने सभी पहलुओं में निर्माण परियोजनाओं के प्रशासन का अनुभव और पीईआरटी / सीपीएम तकनीकों का ज्ञान।

राजभाषा (राजभाषा) विभाग के अधिकारियों के लिए –

स्नातक डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी/हिंदी अनुवाद में मास्टर डिग्री; या स्नातक डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी के साथ संस्कृत/अंग्रेजी/अर्थशास्त्र/वाणिज्य में मास्टर डिग्री; संस्थान से अंग्रेजी और हिंदी / हिंदी अनुवाद दोनों में मास्टर डिग्री।

वित्त और लेखा स्ट्रीम के अधिकारियों के लिए -

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से स्नातक और सीए / सीएमए / सीएस / सीएफए।

बीमांकिक स्ट्रीम में अधिकारियों के लिए -

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक और भारतीय बीमांकिक संस्थान (आईएआई) के फेलो।

लागू क्षेत्र में ग्रेड सी के लिए एक वकील के रूप में या प्रतिष्ठित संस्थान में एक अधिकारी के रूप में अधिमानतः वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में या इस तरह के किसी भी समान अनुभव के लिए न्यूनतम चार वर्ष का योग्यता अनुभव।

ऐ. तालिका के बाद, खंड 1 में, "सामान्य / छूट" शीर्षक के तहत, उप-खंड (ए) को छोड़ दिया जाएगा और उप-खंड (बी), (सी) और (डी) को क्रमशः उप-खंड (ए), (बी) और (सी) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

श्री शिवसुब्रमण्यन रमण, अध्यक्ष
[विज्ञापन-III/4/असा./411/2025-26]

टिप्पणी:

1. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2015 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं के माध्यम से 14 मई २०१५ को प्रकाशित किया गया जो नियमानुसार अमेंड किया गया |पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11; और बाद में द्वारा संशोधित -
 - i. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018 को अधिसूचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से 31 अक्टूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।
 - ii. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2020 को अधिसूचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से 28 अप्रैल, 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।
 - iii. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2021 को 24 मार्च, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।
 - iv. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021 को 1 जुलाई, 2021 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11के माध्यम से प्रकाशित किया गया।
 - v. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022 को 13 अप्रैल, 2022 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।
 - vi. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022 को 9 जून, 2025 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2025

Pension Fund Regulatory And Development Authority (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2025

No. PFRDA/05/1/0025/2017-HR.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11 read with clauses (b) of sub-section (2) of section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2025.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority Employees' Service) Regulations, 2015, as amended from time to time (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), the following amendments are made.

I. Sub-regulation (1) of regulation 2 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(1) These regulations shall apply to:

- (i) all officers and employees appointed by the Authority under section 11 of the Act;
- (ii) all officers and employees appointed by the Interim Authority prior to the notification of the Act; and
- (iii) any other category of employees to whom these regulations are applicable where so specified.

Provided that these regulations shall not apply to persons employed temporarily or on contract save as otherwise provided in these regulations or to such extent as may be generally or specifically decided by the Authority.”

II. In sub-regulation (1) of regulation 3 of the principal regulations,

i. after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:-

“(fa) "deputation" means temporary posting of an employee to another organisation wherein the accrual and disbursement of remuneration including pay, allowances and perquisites would be borne by the borrowing organisation.”

ii. after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

“(ga) "external assignment" means the temporary posting of an employee to another organisation, including on secondment, tour of duty and staff exchange programme, wherein the accrual and disbursement of remuneration including pay, allowances and perquisites would be borne by the Authority either in part or in full.”

iii. sub-clause (iii) of clause (h) shall be substituted as follows:

“(iii) Any other person related, by blood or marriage, to the employee or to his spouse and wholly dependent upon such employee.

However, for the purpose of availing of benefits offered by the Authority to its employees i.e., health insurance, leave travel concession and such other like benefits, the family means as determined by the Competent Authority from time to time by way of circulars or orders.”

III. Sub-regulation (3) of regulation 3 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“For the purposes of these regulations, words importing the masculine gender shall be taken to include females and transgender persons wherever the context warrants and singular will also include plural.”

IV. In regulation 5 of the principal regulations,

i.in sub-regulation (1), before the words “the power to implement”, the words and symbol “Subject to the provisions of these regulations,” shall be inserted.

ii.after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(3) The Authority may at its discretion waive or relax the strict application of the provisions of these regulations.”

V. Sub-regulation (1) of regulation 6 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**Classification and appointment of officers and other employees.**-(1) The officers and other employees in the Authority shall be classified as follows:

- (a) Officers (Grades A, B, C, D, E, F and Executive Director);
- (b) Secretarial Staff on deputation (Grades A, B and C);
- (c) Junior Assistant; and
- (d) Driver.”

VI. Clause (d) of sub-regulation (4) of regulation 6 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(d) Competent authority shall constitute a selection committee, comprising such number of persons and outside expert as he may determine for recruitment and promotion.

Provided that for recruitment at the level of Executive Director on deputation or contract, the Competent authority shall constitute a search-cum-selection committee, comprising such number of persons and external experts as may be determined.

Provided further that the appointment to the post of Executive Director shall be approved by the Authority before an offer of appointment is issued to the selected candidate.”

VII. In sub-regulation (3) of regulation 7 of the principal regulations, the words “such employees” shall be replaced with the words “secretarial staff (Grades A, B and C) or officers”.

VIII. In regulation 10 of the principal regulations,

i.sub-regulation (1) shall be substituted as follows:

“(1) An employee directly appointed in any of the specified scales of pay shall be on probation for a period of two years.”

ii.after sub-regulation (1) the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(1A) An employee promoted from one grade/scale to another shall be on probation for a period of one year.”

IX. In regulation 13 of the principal regulations,

i. in sub-regulation (1) after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that the Authority may undertake periodic review of performance of employees in addition to yearly review and may retire any employee under first proviso, if it is of the opinion that the employee has doubtful integrity or if the employee has been found to be inefficient.”

ii. last sub-regulation shall be renumbered as (7).

X. Regulation 16 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“**16. Promotion.-** All promotions and upgradation shall be made at the discretion of the Authority and governed by the policies laid down by the Competent Authority from time to time.”

XI. After sub-regulation (5) of regulation 36 of the principal regulations, the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(6) Subject to the exigencies of work and approval by the competent authority, differently abled employees, as defined in the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016, may be granted, in a calendar year, a maximum of ten days of special casual leave for participating in Conference, Seminars, Trainings or Workshops related to disability and development related programs and a maximum of four days of special casual leave for specific requirements relating to the disability of the employee:

Provided that the grant of special casual leave under this sub-regulation shall be subject to such terms and conditions as may be decided by the competent authority from time to time.”

XII. After regulation 36 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-

“36A. Special Hardship Leave.-

(1) **Eligibility.-** (a) employee confirmed in the services of the Authority and having completed five years of service in the Authority is eligible to apply for special hardship leave:

Provided that special hardship leave before completion of five years of service may be sanctioned in exceptional circumstances for the purposes provided in sub-regulation (2), on an application by such employee and upon recommendation of the approving authority in accordance with sub-regulation (4);

(b) a female employee may avail special hardship leave as extension of maternity leave irrespective of completion of service of five years in the Authority;

(c) approval of the special hardship leave shall be at the sole discretion of the Authority, depending upon the grounds including the administrative exigencies of the Authority, reason for which the leave is sought for and merits of individual cases;

(d) employee shall not proceed on special hardship leave without the approval of approving authority in accordance with sub-regulation (4);

(e) special hardship leave shall not be available to employees,—

(i) serving abroad under special arrangements or bonds;

(ii) who have executed service bonds and have not completed it;

(iii) against whom disciplinary proceedings are proposed or pending or who are under suspension, including employees against whom action has been initiated by Government agencies or other law enforcement authorities;

(iv) appointed on contract basis;

(v) falling under any other category as may be determined by the Authority from time to time.

(2) **Purpose of special hardship leave.**- Special hardship leave shall be for the purpose of taking care of the family or children or health grounds of self or dependent family members.

(3) **Period of special hardship leave.**- Special hardship leave may be availed for a period not exceeding two years during the entire service, and may be availed for a minimum period of three months once in a year.

(4) **Approving authority for special hardship leave.**- Approving authority for special hardship leave for employees in grade 'D' and above, shall be the Whole Time Member in charge of the concerned department where such employee is serving, and in other cases, the approving authority shall be the Executive Director in charge of the concerned department where such employee is serving.

(5) **Other conditions.**- Other conditions relating to special hardship leave shall be as follows,—

(a) such leave shall be without pay, perquisites and allowances except house allowance and claims for medical treatment availed in India:

Explanation: For the purpose of this clause, claim for the medical treatment, shall include, medical insurance, claim from Medical Assistance Fund, non-policy medical claims, eye refraction and annual health check-up;

(b) an employee on special hardship leave shall be allowed to retain the accommodation provided by the Authority or receive the house allowance, as the case may be;

(c) application for special hardship leave shall be submitted by the employee in grade 'D' and above, at least two months before the date from which leave is to be availed, and in all other case at least one month before the date from which leave is to be availed:

Provided that the approving authority shall have discretion to relax the period specified in this clause in appropriate cases;

(d) for computing the eligibility to avail special hardship leave, completed years of services shall be reckoned;

(e) special hardship leave once approved, shall be irrevocable;

(f) before expiry of the approved special hardship leave, employee shall not resume for duty without permission from the approving authority;

(g) special hardship leave may be availed irrespective of balance of leaves of any other category, and may be combined with any categories of leave except casual leave, special casual leave, Special casual leave in lieu of joining time, and special leave;

(h) special hardship leave shall not be granted for avoiding transfer or posting or placement, etc.;

(i) an employee, who leaves the services of the Authority by resignation or voluntary retirement during the special hardship leave shall be liable to pay compensation to the Authority, which shall be a sum equal to substantive pay for the period of notice as required, in terms of these regulations;

(j) an employee, who leaves the services of the Authority by way of resignation or voluntary retirement during the special hardship leave or within five years after resuming office after availing such leave, shall be liable to pay to the Authority, an amount equal to the entire house allowance and medical claims paid during such leave:

Provided that after approval of the competent authority, based on requisite documentary evidence and examination and certification by the Medical Officer of the Authority, the payment of said amount

from the employee, who has availed special hardship leave on health grounds of self and that being the reason for which he is unable to resume office may be waived;

(k) Authority may cancel the special hardship leave and recall the employee and proceed in the matter as deemed fit, in case it is found that such employee is undertaking or engaged in, directly or indirectly, any trade or employment or business or profession;

(l) special hardship leave shall be counted as service for the purpose of seniority;

(m) for the period of special hardship leave availed, no other leave shall be credited to such employee;

(n) an employee shall make himself available during the period of special hardship leave as witness in any investigation, court case, departmental enquiry or any other such proceeding and shall be paid travelling and halting allowance, as the case may be;

(o) Authority may cancel the special hardship leave at any time and recall the employees in case of exigencies;

(p) Authority shall not approve any fresh loan or advance of whatever nature during the special hardship leave period;

(q) an employee on special hardship leave shall submit the return of immovable or movable or valuable property as required;

(r) an employee availing special hardship leave shall intimate to the Authority, his local address for correspondences and also inform any changes in address for communication, from time to time.”

XIII. Sub-regulation (1) of regulation 37 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(1) (i) Every employee shall be entitled to ordinary leave at the rate of 30 days for every year of service subject to a maximum accumulation of 300 days.

(ii) The leave so earned shall be credited to the ordinary leave account of the employee half yearly on 1st January and 1st July respectively in each year at the rate of 15 days for every 6 months of service rendered by such employee.

(iii) Where an employee has to his credit 286 days or more of ordinary leaves, the further credit of 15 days ordinary leave shall be done at the beginning of each half year (on 1st January or 1st July) to the employee's additional ordinary leave account and the ordinary leaves availed during the six-month period thereafter ending on 30th June or 31st December shall be deducted from such account:

Provided that if ordinary leaves sanctioned is for less than 15 days, the balance shall be credited to the ordinary leave account subject to the ceiling of 300 days at the close of that half year.

Provided further that an employee shall have his ordinary leaves sanctioned and availed before 30th June or 31st December as leaves beyond 300 days will lapse on 30th June or 31st December, as the case may be.

(iv) No employee shall earn ordinary leave when he is on leave other than casual leave for a continuous period of more than 6 months. If an employee renders less than 6 months of service in any half year, he shall be credited with one day for every 11 days of duty.

(v) Fractions of a day of ordinary leave shall be taken as full day if amounting to half a day or more, and shall be ignored if amounting to less than half a day.”

XIV. In regulation 38 of the principal regulations,

i. sub-regulation (1) shall be substituted as follows:

“(1) An employee may be permitted to encash ordinary leave once every calendar year for a minimum period of 10 days and a maximum period of 30 days.

Provided that the employee has to his credit a balance of 180 days ordinary leaves or more after encashment.”

- ii. in sub-regulation (3), after the words “the Authority who”, the words and symbols “upon completion of probation under sub regulation (1) of regulation 10 of these regulations,” shall be inserted.

XV. After sub-regulation (4) of regulation 40 of the principal regulations, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(5) A commissioning mother having less than two surviving children, who commissions a child through the applicable legal process, may be granted maternity leave for a period not exceeding 180 days within the overall admissibility of 360 days of maternity leave.

Explanation 1: A “commissioning mother” has been defined in section 3(ba) of the Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961) as “a biological mother who uses her egg to create an embryo implanted in any other woman”.

Explanation 2: For the purpose of this sub-regulation, the period of maternity leave shall be calculated from the date the custody of the child is given to the commissioning mother.

(6) A female employee with less than two surviving children, on adoption of a child below the age of one year in accordance with the applicable law, may be granted maternity leave for a period of 180 days within the overall admissibility of 360 days of maternity leave, from the date the custody of the child is given to her.

Provided that the employee furnishes to the Authority, the adoption deed or any other document as may be sought by the Authority.”

XVI. After sub-regulation (2) of regulation 41 of the principal regulations, the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

“(2A) Paternity Leave for a period of fifteen days may also be granted to a male employee with less than two surviving children in a case where fatherhood is a result of surrogacy, within six months from the day the custody of the child is given to him.”

XVII. In regulation 54 of the principal regulations,

- i. sub-regulation (1) shall be substituted as follows:

“54. Contributions to the print, social and digital / electronic media or any other media in public domain.- (1) No employee shall contribute to the print, social and digital / electronic media or any other media available in the public domain without the prior sanction of the Competent Authority or without such sanction make public or publish any document, paper or information which may come in his possession in his official capacity.”

- ii. after proviso to sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that where such sanction is granted by the Competent Authority for employee’s contribution to any print, social and digital / electronic media or any other media available in the public domain, he shall provide a disclaimer to the effect that the views expressed therein are his own and are not endorsed by the Authority.”

XVIII. Regulation 56 of the principal regulations,

- i. in sub-regulation (1) the word “two” shall be replaced with the word “one”;
- ii. in sub-regulation (3), the word “two” shall be replaced with the word “one”;

iii. after sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the employee would be required to seek fresh approval from the Authority in the event of seeking employment with another intermediary registered with the Authority or associating in any other manner with another intermediary registered with the Authority, within the period of one year.”

iv. in proviso to sub-regulation (3), the words “however” shall be replaced with “further that”;

v. the paragraphs after proviso to sub-regulation (3) and before sub-regulation (4) shall be substituted as follows:

“(4) The competent authority while granting such approval shall satisfy itself regarding the appropriateness of granting the approval, having regard to dealing which the employee may have had with the said intermediary while in the services of the Authority; and may impose such conditions as may be necessary having regard to the circumstances of the case including prohibiting the employee from representing the intermediary in any manner before the Authority.”

vi. sub-regulation (4) shall be renumbered as (5).

XIX. Sub-regulation (1) of regulation 67 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“67. Movable, immovable and valuable property.”-(1) Every employee shall make a declaration of his assets and liabilities as specified from time to time under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014).

Provided that till the time the manner of such declaration is specified under Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the employees shall declare their assets and liabilities in the manner as specified from time to time with the approval of the Competent Authority.”

XX. Sub-regulation (3) of regulation 80 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(3) Any complaint of violation of sub-regulation (1) shall be dealt by the Complaints Committee set up by the Authority which shall

(i) be chaired by an officer;

(ii) consist of at least one outsider who is familiar with the issue of sexual harassment; and

(iii) be composed in such a manner that at least one half of its members are women

The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, and the rules framed thereunder, provisions of which shall prevail in case of any conflict with these regulations.”

XXI. In regulation 81 of the principal regulations,

i. after sub-regulation (2) and before the explanation, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that nothing contained in this regulation shall limit the power of the Competent Authority to direct recovery from an employee of the amount of pecuniary loss caused to the Authority by all means available to the Authority under the law including, to the extent permissible, from such amounts due from the Authority and payable to the employee, in addition to recovery of such loss from the pay, howsoever that the total amount so recovered does not exceed the amount of pecuniary loss quantified.”

ii. after explanation to sub-regulation (2), the following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation 2: For the purpose of this regulation, proceedings if instituted while the employee was in service whether before retirement/ repatriation to the parent cadre/ completion of contract period or during re-employment shall, after the final retirement/ repatriation to the parent cadre/ completion of contract period of the employee, be deemed to be a proceeding under this regulation and shall be continued and concluded by the Authority before which it commenced in the same manner as if the employee had continued in service.”

iii. the word “explanation” under sub-regulation (2) shall be replaced with “Explanation 1”.**XXII. After regulation 89 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-****“89A. Action against employees who have left the services of the Authority.-**

(1) Where an employee who has resigned or retired from the services of the Authority or has completed the tenure of deputation/contract with the Authority is alleged to have indulged in corrupt practices during the period of service, then the said allegation shall be dealt with as per the procedure approved by the Competent Authority from time to time.

Explanation: For the purpose of this regulation, an allegation shall be deemed to indicate corrupt practice if the employee is alleged to have committed an act of criminal misconduct as provided in section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) or is alleged to have acted for an improper purpose or in a corrupt manner or is alleged to have exercised or refrained from exercising the powers with an improper or corrupt motive.”

XXIII. In regulation 93 of the principal regulations, the words “permitted to join” shall be replaced with the words “deputed to”.**XXIV. Regulation 94 of the principal regulations shall be substituted as follows:****“94. Deputation and External Assignment.-**

(1) An employee of the Authority may be sent on deputation or on external assignment to serve under any other employer:

Provided that such deputation or external assignment shall be pursuant to the approval of the Authority and shall be in accordance with such terms and conditions as may be specified by the Authority from time to time.

Provided further that an employee shall not be sent on deputation or on external assignment against his will.”

XXV. In regulation 95 of the principal regulations,**i. in sub-regulation (3), before the words “an employee who” the words “In the case of” shall be added;****ii. after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-**

“(5) Notwithstanding anything contained in this regulation, the gratuity payable to an employee may be withheld either in full or part, during the pendency of any proceedings initiated against an employee under regulations 81 to 84 and the withheld gratuity shall be paid to the employee on conclusion of the proceedings, subject to the decision of the proceedings or any recoveries to be effected from the employee.”

XXVI. In regulation 97 of the principal regulations, after the words “Forms A to C” the words “as provided in the Appendix of these regulations” shall be added.

XXVII. In the Schedule of the principal regulations,

i. column 4 shall be deleted;

ii. in row 1 column 3, after the words “Age, Qualification & Experience for Direct recruits”, the words and symbols “/contract recruits, wherever applicable” shall be added;

iii. in row 1 column 6, after the words “Composition of the selection Committee”, the words and symbol “/Search cum Selection Committee” shall be added;

iv. in row 2, the provision in column 2 shall be substituted as follows:

“(a) Promotion;

(b) Deputation from Govt., Regulatory Bodies, RBI, Banks, Financial Institutions & Academic institutions;

(c) On contract basis.

2/3rd of the total posts from internal candidates and 1/3rd posts, not more than 3, to be filled by deputation/contract.

In case of non-availability in any category i.e., internal or deputation/ contract category, the available vacancy of one category may be filled with a suitable candidate from the other categories.”

v. in row 2 column 3, the letters “CWA” shall be replaced with the word “CMA”;

vi. in row 2, the provision in column 5 shall be substituted as follows:

“Deputation from Govt, Regulatory Bodies, RBI, Banks, Financial Institutions, with not less than 20 years of experience in dealing with problems relating to pension/ financial sector or special knowledge/experience

of law, investigation, Finance, Economics, Accountancy, Administration or any other discipline considered useful to the Authority.”

vii. in row 2, the provision in column 6 shall be substituted as follows:

“For promotion: Chairperson and two other members of the Authority and two external experts to be nominated by the Chairman shall constitute the Selection Committee.

For Deputation/ contract: Chairman, two other members of the Authority and two external experts to be nominated by the Chairman shall constitute the Search-cum-Selection Committee.

In case of deputation from Government or other organisations, terms and conditions of deputation to be finalized in consultation with the lending organisation.”

viii. in row 3, the provision in column 3 shall be substituted as follows:

“Upper age of 45, 48 and 52 years for Grade D, E and F respectively.

For officers in the General Stream –

Master’s Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in any discipline/Bachelor’s Degree in Law/ Bachelor’s Degree in Engineering from a recognized

University/Institute or Chartered Accountant/ Chartered Financial Analyst/ Company Secretary/ Cost Accountant.

*(Equivalent to a Master's Degree in that discipline as recognized by the Association of Indian Universities).

For officers in the Legal Stream –

Bachelor's Degree in Law from a recognized University/ Institute.

For officers in the Research Stream –

Master's Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years' duration) in Economics/Commerce/ Business Administration/ Econometrics/ Quantitative Economics/ Financial Economics /Mathematical Economics/ Business Economics/ Agricultural Economics/ Industrial Economics/Business Analytics; or Master's Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years' duration) in Finance/ Quantitative Finance/ Mathematical Finance/ Quantitative Techniques/ International Finance/ Business Finance/International and Trade Finance/ Project and Infrastructure Finance/ Agri. Business Finance; or

Master's Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years' duration) in Statistics/Mathematical Statistics/ Statistics & Informatics/ Applied Statistics & Informatics/ Data Science/Artificial Intelligence/ Machine Learning/ Big Data Analytics; or

Master's Degree in Mathematics and one year post graduate diploma in Statistics or related subjects from a recognized University/ Institute.

*(Recognized equivalent to a Master's Degree in that discipline by Association of Indian Universities).

For officers in the Information Technology Stream –

Bachelor's Degree in Engineering in any branch or Bachelor's Degree in any discipline with a postgraduate qualification (minimum two years' duration) in computer science/ computer application/information technology from a recognized University / Institute.

For officers in the Engineering Stream –

Bachelor's Degree in Civil Engineering or Bachelor's Degree in Electrical Engineering from a recognized University / Institute.

For officers in the Official Language (Rajbhasha) Stream –

Master's Degree in Hindi/ Hindi Translation with English as a subject at the Bachelor's Degree level; or Master's Degree in Sanskrit/ English/ Economics/ Commerce with Hindi as a subject at Bachelor's Degree level; or Master's Degree in both English and Hindi/ Hindi Translation from a recognized University/ Institute.

For officers in the Finance & Accounts Stream –

Graduation from a recognized university/ Institute and CA / CMA / CS / CFA.

For officers in the Actuarial Stream –

Graduation from a recognized university/ Institute and Fellow of the Institute of Actuaries of India (IAI).”

ix. in row 4, the provision in column 3, except the words and symbols “Bachelor’s Degree in Engineering (electrical/ electronics and communication / information technology / computer science) / Masters in Computer Application / any Bachelor’s Degree in discipline with a post graduate qualification (minimum 2 years duration) in computers / information technology OR Bachelor’s Degree in Engineering with specialization in Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) / Masters in Computer Application with specialization in AI and ML / Bachelor’s Degree in Science with specialization in AI and ML/ Bachelor’s Degree in any discipline with a post graduate qualification (minimum 2 years duration) in computers/information technology with specialization in AI and ML for officers in Technical Stream (Information System)”, shall be substituted with the following, namely:-

“Upper age of 30, 30 and 35 years for Grade A, B and C respectively.

For officers in the General Stream –

Master’s Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in any discipline/ Bachelor’s Degree in Law/ Bachelor’s Degree in Engineering from a recognized University/ Institute or Chartered Accountant/ Chartered Financial Analyst/ Company Secretary/ Cost Accountant.

*(Equivalent to a Master’s Degree in that discipline as recognized by the Association of Indian Universities).

For officers in the Legal Stream –

Bachelor’s Degree in Law from a recognized University/ Institute. In addition to the qualification specified for the Legal Stream, two years’ post qualification experience as an Advocate (including as an associate in an Advocate’s or Solicitor’s Office or Law Firm) after being enrolled under the Advocates Act, 1961 (25 of 1961) shall be a desirable qualification.

For officers in the Research Stream –

Master’s Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in Economics/ Commerce/ Business Administration/ Econometrics/ Quantitative Economics/ Financial Economics / Mathematical Economics/ Business Economics/ Agricultural Economics/ Industrial Economics/ Business Analytics; or Master’s Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in Finance/ Quantitative Finance/ Mathematical Finance/ Quantitative Techniques/ International Finance/ Business Finance/ International and Trade Finance/ Project and Infrastructure Finance/ Agri. Business Finance; or

Master’s Degree/ Post Graduate Diploma* (minimum two years’ duration) in Statistics/ Mathematical Statistics/ Statistics & Informatics/ Applied Statistics & Informatics/ Data Science/ Artificial Intelligence/ Machine Learning/ Big Data Analytics; or

Master’s Degree in Mathematics and one year post graduate diploma in Statistics or related subjects from a recognized University / Institute.

*(Recognized equivalent to a Master’s Degree in that discipline by Association of Indian Universities).

For officers in the Engineering Stream –

Bachelor’s Degree in Civil Engineering or Bachelor’s Degree in Electrical Engineering from a recognized University/ Institute.

Desirable Experience for Civil Engineers –

- (i) Experience in maintenance of Office and Residential properties/ colonies.
- (ii) Experience of administering construction projects in all its aspects and knowledge of PERT/ CPM techniques.
- (iii) Working knowledge of Computer in Structural Design in CAM/ CAD/ MS Project or Primavera evaluation and analyzing of tenders with special references.
- (iv) Working knowledge in structural rehabilitation works.
- (v) Experience in Construction and Project Management.

Desirable Experience for Electrical Engineers –

- (i) Working knowledge of electronic systems like CCTV surveillance systems, Addressable Security Alarm and Fire Alarm systems, EPABX, UPS system, etc.
- (ii) Experience in maintenance of lifts, pumps, air-conditioning plants, etc.
- (iii) Experience of administering construction projects in all its aspects and knowledge of PERT/CPM techniques.

For officers in the Official Language (Rajbhasha) Stream –

Master's Degree in Hindi/ Hindi Translation with English as a subject at the Bachelor's Degree level; or Master's Degree in Sanskrit/ English/ Economics/ Commerce with Hindi as a subject at Bachelor's Degree level; or Master's Degree in both English and Hindi/ Hindi Translation from a recognized University / Institute.

For officers in the Finance & Accounts Stream –

Graduation from a recognized university/ Institute and CA / CMA / CS / CFA.

For officers in the Actuarial Stream –

Graduation from a recognized university/ Institute and Pass or exemption in all seven (7) 'Core Principles' subjects of the Institute of Actuaries of India (IAI) Examination.

Minimum four years' post Qualification experience for Grade C in the applicable field as an advocate or as an officer in reputed Institution preferably in the area of financial services or any such similar experience."

- x. after the table, in clause 1, under the heading "General / Relaxation", sub-clause (a) shall be omitted and sub-clauses (b), (c) and (d) shall be renumbered as sub-clauses (a), (b) and (c) respectively.**

Shri SIVASUBRAMANIAN RAMANN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./411/2025-26]

Footnote:

1. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 14th May, 2015 vide notification No. PFRDA/12/RGL/139/11; and subsequently amended by -
 - i. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (First Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 31st October, 2018 vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.
 - ii. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India on 28th April, 2020 vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.
 - iii. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on 24th March, 2021 vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.
 - iv. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Second Amendment) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on 1st July, 2021 vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.
 - v. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2022 were published in the Gazette of India on 13th April, 2022 vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/11.
 - vi. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2022 were published in the Gazette of India on 9th June, 2025 vide Notification No. PFRDA/05/1/0025/2017-HR.